न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2020 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये श्रीमती योगिता कंवर, प्रवर्तन निरीक्षक माण्डलगढ –प्रार्थी	बनाम	1. चन्द्रप्रकाश खटीक निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा टैम्पो ड्राईवर आर.जे. 06–जीसी–6122 –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 22-10-2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 8.9.2020 को 12.45 पी.एम. पर पुलिस चौकी श्यामपुरा पहुंची, जहां श्री रामकिशोर हैड कांन्सटेबल उपस्थित थे, जिन्होंनें डिटेन की गयी टैम्पो नम्बर आर.जे. 06 – जी सी – 6122 खड़ी थी जिसमें कुल 6 ड्रम (02 ड्रम खाली, 01 ड्रम में 65 लीटर पेट्रोल, शेष 03 ड्रमों में 600 लीटर डीजल रखा हुआ था) एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप रखा हुआ था। मौके पर ही चन्द्रप्रकाश खटीक से दूरभाष पर संपर्क करने पर उन्होंनें बताया कि वे श्री जी पम्प, बिजौलिया से उक्त डीजल – केरोसीन भरवाकर, प्राप्त आर्डर पर विक्रय करने जा रहा था तथा बारिश होने के बात कहकर पुलिस चौकी पर उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की। उक्त टैम्पो नम्बर आर. जे. 06 – जी सी – 6122 तथा टैम्पों में रखे सामान कुल 6 ड्रम (02 ड्रम खाली, 01 ड्रम में 65 लीटर पेट्रोल, शेष 03 ड्रमों में 600 लीटर डीजल रखा हुआ था) एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप को चौकी प्रभारी श्री रामकिशोर को सुपुर्द किया, जिन्होंने टैम्पो सहित समस्त सामग्री को सुरक्षित रखने तथा सरकार द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाने हेतु सहमति दी। वक्त जांच रिपोर्ट तैयार करने तक टैम्पों नम्बर आर. जे. 06 जीसी 6122 पर किसी ने भी मालिकाना हक नही जताया तथा चालक द्वारा भी टैम्पों भाड़े पर लेने की बात कहकर टैम्पों मालिक के बारे में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

कोई सूचना नहीं दी। जिससे स्पष्ट है कि टैम्पों चालक द्वारा उक्त डीजल पेट्रोल का अवैध रूप से परिवहन व दुरूपयोग किया जा रहा था। अतः निवेदन है कि आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश खटीक निवासी बिजौलिया के टैम्पो नम्बर आर.जे. 06 – जी सी – 6122 से जब्त किये गये कुल 6 ड्रम (02 ड्रम खाली, 01 ड्रम में 65 लीटर पेट्रोल, शेष 03 ड्रमों में 600 लीटर डीजल रखा हुआ था) एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप को राजसात करने का आदेश करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.09.2020 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी सं. 01 द्वारा दिनांक 24.09.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन टैम्पो नम्बर आर.जे. 06 – जी सी – 6122 को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है और वाहन जब्त होने से प्रार्थी बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। अन्य कोई कमा खाने का साधन नही होने से जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने की कृपा करावें। उक्त वाहन को न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रार्थी न्यायालय के समक्ष पेश कर देगा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2020 को स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा वाहन टैम्पो नम्बर आर.जे. 06 – जी सी – 6122 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 2,00,000/–रूपये के जमानती मुचलके एवं सुपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर थाना माण्डलगढ पुलिस चौकी श्यामपुरा को प्रार्थी चन्द्रप्रकाश खटीक को उक्त वाहन सुपुर्द किये जाने के आदेश दिनांक 24.09.2020 को पारित किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते निवेदन किया कि आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश खटीक निवासी बिजौलिया के टैम्पो नम्बर आर.जे. 06 – जी सी – 6122 से जब्त किये गये कुल 6 ड्रम (02 ड्रम खाली, 01 ड्रम में 65 लीटर पेट्रोल, शेष 03 ड्रमों में 600 लीटर डीजल रखा हुआ था) एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप को राजसात करने का आदेश करावें।

विपक्षी सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का माल (डीजल व पेट्रोल) को पुलिस / रसद विभाग ने अपनी जब्ती में लिया हैं, जिसकी पुलिस / रसद

विभाग को अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है और माल खुले में पडा पडा खराब /खुर्द बुर्द हो रहा हैं। प्रार्थी का माल जब्त हो जाने से प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी ने कोई कालाबाजारी नही की है। इस बाबत् पेट्रोल / डीजल खरीद के मूल बिल न्यायालय में प्रस्तुत है। निवेदन है कि प्रार्थी के जब्तशुदा उक्त माल (पेट्रोल/डीजल) को पुनः प्रार्थी को सुपुर्द कराने का आदेश करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कुल 65 लीटर पेट्रोल एवं 600 लीटर डीजल की कालाबाजारी का कार्य किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 65 लीटर पेट्रोल, 600 लीटर डीजल एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 65 लीटर पेट्रोल, 600 लीटर डीजल एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 65 लीटर पेट्रोल, 600 लीटर डीजल एवं एक 10 लीटर व एक 05 लीटर का मेजर (खाली) तथा एक प्लास्टिक पाईप का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22-10-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा